RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in **वेबसाइट :** http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 30 सितम्बर, 2011 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 4

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आप सबको दशहरा व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ !

हमें आशा है कि आप यह त्योहार सउल्लास मनायेंगे।

अब उत्तर प्रदेश से बरसात का मौसम प्रायः समाप्त हो चुका है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में वर्षा सामान्य से कही अधिक देर तक होती रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 20 सितम्बर तक वर्षा बन्द हो गई जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 26/27 सितम्बर तक काफी अधिक मात्रा में होती रही। वर्षा के कारण आलू की बुआई में कम से कम एक माह की देरी हो गई। इस कारण बीज का आलू शीतगृहों से सितम्बर माह में अधिक रफ्तार से नहीं निकल पाया जिसने शीतगृहस्वामियों की चिन्ता और बढ़ा दी।

हमारे विचार से देर में आलू की नई फसल की बुआई होने के कारण उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों में नवम्बर माह में आलू की नई फसल का दबाव नहीं बन पायेगा और आलू की स्थानीय मण्डियों को शीतगृह आलू पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इस प्रकार शीतगृह के भण्डारित आलू को निकासी के लिए कम से कम 20 दिन और अधिक मिल गए, इस लिए आशा की जाती है कि भण्डारित आलू की बेकद्री नहीं होगी उसे फिकवाना भी नहीं पड़ेगा। हम शीतगृहस्वामियों को यह सलाह देते है कि वह आलू निकासी के बारे में तनिक भी न घबराये।

इस समय तक पश्चिमी क्षेत्रों में 50 से 55 प्रतिशत तक आलू की निकासी हो चुकी है और पूर्वी क्षेत्रों में औसतन 35 प्रतिशत की निकासी का अनुमान है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीज आलू का भण्डारण अधिक होता है जो कि बिहार आदि प्रदेशो में या छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में जाता है।

आलू की इस बची हुई मात्रा को देखते हुए और बचे हुए समय को देखते हुए चिंतित होने की बात नजर नहीं आती, फिर भी हर भाव पर आलू का निकालते रहना ही उचित होता है। उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग भी यह सलाह दे रहा है कि आलू की निकासी करते रहें क्योंकि एक समय में सारे भण्डारित आलू को निकाल देना सम्भव नहीं होता।

वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग लखनऊ में करना तय किया गया है।

यह मीटिंग दिनांक 7.12.2011 को होटल क्लार्क अवध में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक चलेगी और केवल एक दिन के लिए होगी। हमारे सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस मीटिंग में उपस्थित हो और अपनी समस्याओं को विचार विमर्श व समाधान के लिए रखे।

यदि मात्र शीतगृह संघ के सदस्य ही इस मीटिंग में आयेंगे तो मीटिंग को सुचारू रुप से चलाने में आसानी होगी।

आप अपनी समस्याओं को यदि हमें पहले से लिख भेजेंगे तो हम उनके उत्तर और यदि सम्भव होगा तो समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे।

पिछली मीटिंग में कभी–कभी यह पाया गया है कि कुछ शीतगृहस्वामी अपने साथ आये कर्मचारियों व ड्राइवरों को साथ में ही खाना खिलाने के लिए बुला लेते हैं। इससे हमारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तमाम अन्य सदस्य भी एतराज करने लगते हैं और आपकी एसोसिएशन पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है क्योंकि आजकल एक व्यक्ति का लंच या डिनर 700/800 रुपए से कम नहीं बैठता। हम कर्मचारियों के लिए अलग पैकेड लंच की व्यवस्था कर सकते हैं यदि हमें उसी दिन 11.00 बजे तक भी सूचित कर दिया जाये कि किस–किस को अपने ड्राइवर या अन्य कर्मचारी के लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए। हमें पूरी आशा है कि इस कार्य में हमें आपका सहयोग मिलेगा। पूरा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा।

- ❑ प्रातः 10.00 बजे से 10.30 बजे तक — चाय/काफी व बिस्कुट
- ❑ प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे अपराह्न तक — मीटिंग
- ❑ अपराह्न 1.30 बजे से 2.30 तक — लंच
- ❑ अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे सायं तक — मीटिंग
- ❑ सायं 4.30 बजे से 5.00 बजे चाय — चाय/काफी व बिस्कुट

हर साल की भांति सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा परन्तु उसका कोई चार्ज नहीं होगा।

आलू स्वास्थ्य के लिए उत्तम :

हमें जी. कमाल नसीर साहब मुजीब इन्टरनेशनल, मुरादाबाद के मालिक ने आलू के बारे में निम्न लिखित समाचार पत्र में प्रकाशित खबर भेजी है। हम इसके लिए उन्हे धन्यवाद देते हैं।

आलू में है दम!

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग आलू खाना पसंद नहीं करते। आलू में वसा एवं कैलोरी अधिक होती है और इसे खाने से मोटापा बढ़ता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि बिना फ्राई किया हुआ, मक्खन या फिर सॉर क्रीम रहित आलू में महज 110 कैलोरी होती है। जबकि इसमें फाइटोकेमीकल्स और विटामिन काफी मात्रा में होते हैं। पेनसिलवेनिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैन्टन के शोधकर्ता जॉय विन्सन को उम्मीद है कि उनकी इस नई खोज से आलू की गिनती पौष्टिक सब्जियों में होने लगेगी। अध्ययन के दौरान मोटापे और हाई ब्लडप्रेशर से परेशान 18 लोगों को एक महीने तक दिन में दो बार 6-8 जामुनी रंग के आलू खाने को दिए गए। एक महीने के बाद इन लोगों के डायस्टोलिक ब्लडप्रेशर में 4.3 प्रतिशत और सिस्टोलिक प्रेशर में 3.5 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई। (एएनआई)

कुछ आगामी बजट के बारे में :

इस समय अगले वर्ष के बजट के लिए भारत सरकार में तैयारी चल रही है। कानफिडिरेशन ऑफ इण्डिया इण्डस्ट्रीज ने हमसे शीतगृहों/कोल्ड चेन उद्योग से सम्बन्धित सुझाव माँगें हैं, जिससे कि उद्योग को कुछ फायदा पहुँचाया जा सके और उद्योग की परेशानियों को दूर किया जा सके। हमारे द्वारा दिया गया पत्र इस प्रकार है –

Federation : 223/2011 September 9, 2011

Mr. R. Vaidyanathan,
Director,
CII National Task Force on Cold Chain Development
CII Headquarters,
23, Institutional Area, Lodhi Road,
New Delhi 110003
E Mail: r.vaidyanathan@cii.in
c.c. amita.sarkar@cii.in

Subject : Recommendations for the Union Budget 2012-13

Dear Mr. Vaidyanathan,

We thank you for your E Mail dated August 26, 2011.

Following are our suggestions for the coming budget :

In the year 2011-2012 cold storages were given infrastructure facility. No proper publicity has been done by Government regarding the definition of the facility and advantages to the cold storages. No bank up to city branch level has been informed regarding this facility, hence cold storages could not avail this facility during the year.

Abolition of Service Tax on Cold Storage should continue for coming years.

At present cold storages are supplied electricity at the highest tariff with no concession at all. Quality of electricity is also extremely poor, low voltage supply, intermittent breakdowns are common factor, while electricity is the raw material for cold storages. For rapid growth of cold storages heavy subsidy on power is requested.

Diesel used in the working of cold storages should also be heavily subsidized.

Total exemption of excise duty should be given on purchase and import of cold storage machinery.

There is a sharp increase in property tax on cold storages. Separate category should be created as cold storages are not like regular commercial buildings or factories. Their main building is the main operational area thus increase in property tax tolls upon very heavily on cold storages.

You are requested to recommend our case for these concessions to Government of India.

With best wishes,

For **FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA**

(MAHENDRA SWARUP)

PRESIDENT

ई–मेल के सम्बन्ध में :

हम अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करते है कि वह कम्प्यूटर के इस जमाने में अपने आपको कम्प्यूटर से अवश्य जोड़े और हमें अपना ई–मेल पता शीघ्र अति शीघ्र भेजें और यह भी सुनिश्चित करें कि वह ई–मेल पता हमें मिल गया है। अनेक सूचनाएँ हम आपको भेजने मे असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि प्रत्येक सूचना को पत्र द्वारा आप तक भेजने में बहुत अधिक परिश्रम व धन की आवश्यकता होती है जो कि सम्भव नहीं होता इसलिए अब यह कार्य केवल ई–मेल के द्वारा ही करेंगे। जिन सदस्यों के भी ई–मेल पते हमारे पास होंगे उन पर हम तुरन्त आवश्यक सूचनाएँ भेजते रहेंगे। अतः आप इस सुविधा से वंचित न रहे। आप हमें तुरन्त अपना ई–मेल पता भेजने का कष्ट करें। हमारा ई–मेल पता coldstorage@satyam.net.in जो कि हम पत्रिका में भी प्रकाशित करते हैं। आप इस पते पर ई–मेल करके अपना पता हमें आसानी से भेज सकते है। इसमें आपका कोई खर्च भी नहीं आयेगा। भविष्य में भी हमें पत्र लिखने से अच्छा है कि आप ई–मेल से ही संपर्क करें।

शीतगृहों से सम्बन्ध रखने वाली कान्फ्रेन्स के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि जनवरी 12 व 13, 2012 में नई दिल्ली, इण्डिया हेबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली India Habitat Centre, New Delhi में होना निश्चित हुआ है जिसमें फेडरेशन्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया भी सहयोगियों में है। इसको विस्तार से जानने के लिए आप वेब साइट www.acreconf.org पर जाकर देख सकते हैं। इस कान्फ्रेन्स में ग्रीन हाउस बिल्डिंग के अलावा शीतगृहों व कोल्ड चेन पर व्यापक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। शीतगृहस्वामियों के लिए इसे देखना एक बहुत अच्छा अवसर होगा। हमारी सलाह है कि हमारे सदस्य इसे अवश्य देखें। इस प्रदर्शनी व कान्फ्रेन्स को देखने के लिए हम पास की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः इच्छुक सदस्य हमें लिख भेजे तो हम उनके लिए प्रदर्शनी के पास की व्यवस्था करने की चेष्टा करेंगे।

विद्युत सम्बन्धी :

आपको याद होगा कि विद्युत सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम एक विशेषज्ञ को मथुरा मीटिंग में लाये थे। अनेक सदस्यों ने उनके सामने अपनी समस्या रखी और उनका समाधान लिया।

धीरे–धीरे हम अपने सदस्यों को विद्युत सम्बन्धी नियमों से अवगत कराना चाहते है। जिससे उन्हें किसी अन्य का मुँह ना देखना पड़े और वह रोज की आने वाली विद्युत समस्याओं को सुलझाने मे स्वयं ही सक्षम हों।

हमने अपने सदस्यों को पहले से जोर देकर कहा है कि वह अपने पास Electrecity Act 2003, व विद्युत वितरण कोड 2005 अवश्य रखें। वह उनके बिजली सम्बन्धी नियमों की भरपूर जानकारी देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपने सदस्यों की सुविधा के लिए श्री रमा शंकर अवस्थी जो कि मथुरा मीटिंग में भी आए थे के सुझाव यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। जिन्हें आप ध्यान से पढ़े व अपने साथ बनाए रखें।

उसके बाद भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप M/s Energy Mantra India Pvt. Ltd. Ground Floor, A1 Apartment, Jopling Road, Lucknow जिनके श्री रमा शंकर अवस्थी मालिक है, के सदस्य बन सकते हैं जिसमें आपको कानूनी सलाह के लिए 5000 रुपए साल की फीस देनी होगी।

श्री अवस्थी द्वारा सुझाए गए मुख्य बिन्दु :

हमने श्री अवस्थी से निम्न बिन्दुओं पर विद्युत कम्पनियों के खिलाफ केस करने की बात भी करी है।

1. रूरल रिबेट का न मिलना
2. उन मीटर रूम जिन पर बिजली कम्पनी ने अपने ताले डाल दिए के बाहर मीटर पढ़ने की व्यवस्था नहीं करना
3. कम वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति

इन तीनों बिन्दुओं पर हमारी चेष्टा यही रहेगी कि एसोसिएशन की ओर से ही हम केस लड़े। यदि खर्चा अधिक आया तब ही हम सम्बन्धित सदस्यों से कोई खर्चे को बाँटने की बात करेंगे।

एनर्जी मन्त्रा के सम्बन्ध में

मैसर्स इनर्जी मन्त्रा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड अवस्थी समूह की कम्पनी हैं यह समूह लखनऊ में स्टील फरनेस, टी.एम.टी. मिल, स्ट्रक्चर मिल का संचालन करती हैं इसके अतिरिक्त यह समूह पैट्रोल पम्प, दूर संचार उत्पाद के वितरण, मैरिज लॉन आदि के व्यवसाय में भी है।

मैसर्स इनर्जी मन्त्रा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन अप्रैल, 2011 में किया गया था जिसके दो संस्थापक निदेशक है :

1. **श्री पारस नाथ पाठक (आई.आर.एस.) :** सेवानिवृत्त मुख्य आयकर आयुक्त एवं सेवानिवृत्त सदस्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियाक आयोग हैं।

2. श्री रमाशंकर अवस्थी (बी.ई., एम.बी.ए.) : पिछले 17 वर्ष से व्यवसाय में संलग्न है तथा 10 वर्षों से विद्युत क्षेत्र में सुधार व समस्याओं के समाधान में संलग्न है। इसके लिए आर.टी.आई, विद्युत आयोग, ट्रिबूनल, हाईकोर्ट में भी बहुत से वाद दाखिल किये जा चुके है। जिसमें कुछ निर्णय आ चुके है तथा कुछ अभी विचाराधीन है।

मैसर्स इनर्जी मन्त्रा 100 के.वी.ए. से ऊपर की औद्योगिक इकाईयों को विद्युत क्षेत्र में समस्त प्रकार की समस्याओं के निराकरण में सहयोग करती है। इसके लिए कम्पनी द्वारा निम्न तीन कार्य किये जाते हैं :–

(क) इनर्जी एकाउन्टिंग एवं आडिट : इसमें कम्पनी द्वारा किसी भी सदस्यों की विद्युत से सम्बन्धित पुराने दस्तोवेजों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् वास्तविक स्थिति निकाली जाती है कि उपभोक्ता द्वारा कितनी धनराशि विद्युत विभाग को अधिक जमा कर दी गयी है तथा वर्तमान में मासिक बिलों का सत्यापन कर उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाता है, एवं बिल गलत होने पर पत्राचार के माध्यम से उसको सही कराने का कार्य किया जाता है।

(ख) तकनीकी सहयोग : इसमें कम्पनी सदस्यों को विद्युत का सही उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकी तथ्यों से अवगत कराती है।

(ग) विधिक सलाह : इसमें कम्पनी सदस्यों को विधिक सलाह प्रदान करती है। यह सलाह देने से पहले कम्पनी सदस्यों के लिए उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का अध्ययन करके सही स्थिति निकालती है कि सदस्यों को किसी भी सक्षम न्यायालय में जाने से फायदा है अथवा नुकसान है।

मैसर्स इनर्जी मन्त्रा विद्युत क्षेत्र में सदस्यों के लिए एक Out Sourcing कम्पनी के तहत कार्य करती है जिससे कोई भी सदस्य केवल व्यवसाय को बढ़ाने में ध्यान दें तथा विद्युत से सम्बन्धित किसी भी समस्या को हमारी कम्पनी पर छोड़ दें। इसमें कम्पनी सदस्यों की तरफ से पत्राचार से लेकर सभी कार्य करती है। सदस्यों को केवल अपनी कम्पनी के लेटर हैड में उतार कर केवल विभाग को देना होता है।

मैसर्स इनर्जी मन्त्रा समय–समय पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लाइसेन्सी द्वारा कोई भी Circular, Regulation, Order आदि निकाले जाते है तो सदस्यों की मेल आई.डी. द्वारा उनको अवगत कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट द्वारा विद्युत क्षेत्र में दिये गये निर्णयों से भी अवगत कराया जाता है।

मैसर्स इनर्जी मन्त्रा द्वारा समय–समय पर सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि किस नये विषय पर न्यायालय में जाने पर फायदा होगा।

मैसर्स इनर्जी मन्त्रा द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक विद्युत (Electricity) का एक पोर्टल "www.energymantra.com" ला रही है जिसमें विद्युत ज्ञान का सम्पूर्ण भण्डार है।

हमारी कम्पनी सदस्यों की गोपनियता का विशेष ध्यान रखती है तथा आपके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल होने से रोकती है तथा आपको विश्वास दिलाती है कि हमारी कम्पनी की सेवाएँ लेने के पश्चात् आपको विद्युत के मद में काफी धन की बचत होगी तथा आपके समय की बचत भी होगी जिसका उपयोग आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कर सकेंगे।

सधन्यवाद

वी.के. श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी)
मोबाइल नं. – 9450021414

कोल्ड स्टोरेज उपभोक्ताओं हेतु महत्वपूर्ण सुझाव

1. उपभोक्ता विभाग के द्वारा प्रतिमाह ली जाने वाली रीडिंग की रीडिंग स्लिप व एम.आर.आई. रिपोर्ट, यदि ली गई हो, कि प्रति अवश्य प्राप्त कर लें। रीडिंग स्लिप में अंकित विवरण का मिलान विभाग द्वारा प्रतिमाह निर्गत विद्युत बीजक में दर्शाये गये है विवरण से अवश्य कर लें। यदि विभाग रीडिंग स्लिप व एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति देने से मना करता है उसकी शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों एवम् विद्युत नियामक आयोग से अवश्य करें।
2. उपभोक्ता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिमाह विभाग के अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली रीडिंग के समय निम्नलिखित विवरण पूछकर अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें तथा इस विवरण का मिलान रीडिंग स्लिप एवम् विद्युत बीजक में दर्शाये गये विवरण से अवश्य कर लें–
   (क) तारीख व समय
   (ख) के.डब्लू.एच.
   (ग) के.वी.एच.
   (घ) Current Demand (MD)

(ङ) Back Demand (BD)

(च) Cumulative Maximum Demand (CMD)

3. यदि टी.ओ.डी. मीटर लगा हो तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जोन वाइज के.वी.एच. रीडिंग का विवरण नोट कर लें –

(क) 22.00 बजे से 6.00 बजे तक

(ख) 6.00 बजे से 17.00 बजे तक

(ग) 17.00 बजे से 22.00 बजे तक

4. यदि उपभोक्ता के परिसर के बाहर डबल पोल मीटर लगा हो तो उपरोक्त वर्णित पैरा 1, 2, 3 के अनुसार डबल पोल मीटर रीडिंग के विवरण भी प्राप्त कर लें।

5. विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विद्युत दर सूची (टैरिफ) का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारियों (लाइसेन्सी) द्वारा उपरोक्त दर सूची को, यदि वह सतुष्ट हो तो, विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख होता है कि यह दर सूची किस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, परन्तु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इसका सही पालन नहीं किया जाता। उपभोक्ता का दायित्व है कि वह टैरिफ की प्रभावी तिथि को संज्ञान में लेते हुए जाँच ले कि विद्युत बीजकों को नयी दर सूची की प्रभावी तिथि से बनाया गया है अथवा नहीं।

6. विद्युत वितरण संहिता, 2005 के अनुच्छेद 6.1(g) के अनुसार विभाग विद्युत बीजक (बिल) जारी करने की तिथि से बीजक की धनराशि को जमा करने के लिए उपभोक्ता को 15 दिन का समय देगा।

7. विभाग द्वारा प्रतिमाह बिलेबिल डिमान्ड की गणना सामान्यतः Back demand अथवा CMD के अन्तर पर की जानी चाहिए, परन्तु यदि किसी कारण से एक ही माह में दो बार रीडिंग ली गयी है तो बिलेबिल डिमान्ड की गणना Current Demand पर की जानी चाहिए। परन्तु विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

8. (क) विभाग के द्वारा निर्गत मासिक बिल पे TOD Slot में वही विवरण होना चाहिए जो उस माह की रीडिंग स्लिप/एम.आर.आई. रिपोर्ट में हो।

(ख) यदि किसी माह में रीडिंग ले पाना सम्भव न हो तो विभाग विद्युत वितरण संहिता, 2005 के अनुसार पिछले तीन माह के औसत के आधार पर उस माह का बिल निर्गत करेगा। यदि यह भी सम्भव न हो तो अगले तीन माह के औसत के आधार पर उस माह के बिल का संशोधन करेगा।

(ग) किसी भी स्थित में डबल पोल पर स्थापित मीटर की रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक

(बिल) निर्गत नहीं किया जा सकता। अतः उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डबल पोल पर स्थापित मीटर की रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत करने की सहमति प्रदान न करें।

(घ) जिस माह नयी विद्युत दर सूची (टैरिफ) लागू हुई हो, उपभोक्ता इस बात की अवश्य जाँच कर लें कि विभाग द्वारा रीडिंग का विभाजन, विद्युत दर सूची के प्रभावी होने की तिथि के अनुसार किया है अथवा नहीं।

9. यदि किसी माह में बिलेबिल डिमान्ड, कान्ट्रैक्टेड डिमान्ड से ज्यादा हो जाती है तो विभाग द्वारा excess demand की गणना सामान्य दर के अतिरिक्त दुगनी दर से किया जाता है जबकि वर्तमान में प्रभावी दर सूची के अनुसार प्राविधान है कि यदि excess demand कान्ट्रैक्टेड डिमाण्ड के 10 प्रतिशत के अन्दर है तो सामान्य दर के अलावा केवल एक गुना डिमान्ड चार्जेज लिया जाएगा तथा यदि excess demand contracted demand के 10 प्रतिशत से ज्यादा है तो विभाग सामान्य दर के अलावा दो गुना डिमान्ड चार्जेज वसूल करेगा।

10. कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्रीज, सीजनल इण्डस्ट्रीज की श्रेणी में आती है। अतः उपभोक्ता प्रतिवर्ष ऑफ सीजन शुरू होने से पूर्व विभाग को ऑफ सीजन अवधि के बारे में लिखित रूप से अवश्य सूचित करें जिससे कि वे ऑफ सीजन की छूट के हकदार हो जाये। यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि इकाई की बन्दी कम से कम 3 माह व अधिकतम 8 माह होनी चाहिए। वर्तमान टैरिफ के अनुसार ऑफ सीजन छूट के लिए यह आवश्यक है कि आपके कोल्ड स्टोरेज का विद्युत भार ऑफ सीजन की अवधि में स्वीकृत भार का 25 प्रतिशत से अधिक न हो। इस अवधि में प्रत्येक माह बिलेबिल डिमाण्ड की गणना उस माह मीटर में अंकित अधिकतम डिमाण्ड के आधार पर गणना किये जाने का प्राविधान है। ऑफ सीजन की अवधि में यदि उपभोक्ता का विद्युत भार, स्वीकृत भार के 25 प्रतिशत से अधिक मीटर द्वारा रिकार्ड किया जाता है तो विभाग पहली बार इस माह की ऑफ सीजन की छूट समाप्त कर डेढ़ गुना की दर से विद्युत मूल्य वसूल करेगा तथा विभाग दूसरी बार डिमान्ड 25 प्रतिशत से अधिक आने पर पूरे वित्तीय वर्ष की ऑफ सीजन की छूट को खत्म कर देगा।

. . . शेष अगले अंक में

विदेश यात्रा के सम्बन्ध में :

यह तो निश्चित हो गया है कि विदेश यात्रा हाँगकाँग–मकाऊ की की जाएगी परन्तु दिसम्बर माह के मध्य तक आलू शीतगृहों से न निकल पाने के विचार को लेकर हम जनवरी 2012 में करने का मन बना रहे हैं। वर्षा काफी देर तक चलने के कारण आलू की निकासी पूरे नवम्बर तक तो कम से कम चलेगी ही और दिसम्बर माह में शीतगृहस्वामी काम से फुर्सत नहीं पा सकेंगे।

हमने पिछले अंक में लिखा था कि आप जिनसे भी हो सके अपने ट्रेवल एजेन्ट के मार्फत भी

. . . शेष पृष्ठ 20 पर

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Swapan Kumar Mondal** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

गुजरात : हमें गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि श्री पी.सी. चिब के निधन के बाद श्री आशीष गुरू ने अध्यक्ष पद का भार सम्भाल लिया है। वह गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के विधिवत अध्यक्ष चुन लिए गए है। वह वर्ष 1998 से गुजरात एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। श्री गनपत कछवा, सचिव/कोषाध्यक्ष पद पर है व श्री भरत खूबचन्दानी, संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है।

श्री खूबचन्दानी जी ने गुजरात के बारे में रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें बताया है कि गुजरात में लगभग 45 प्रतिशत आलू शीतगृहों में रह गया है। खाने वाले आलू के भाव 500 से 700 रूपए कुन्तल चल रहे है। अभी बीज के आलू का कोई रेट घोषित नहीं हुआ है। किसी भी नई फसल आने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है। आप आलू के भविष्य के बारे में उत्साहित नहीं है।

उत्तर प्रदेश : श्री पवन कुमार जैन, शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस से सूचित किया है कि सासनी हाथरस में 45 प्रतिशत तक निकासी हो चुकी है। यह रिपोर्ट 10.9.2011 की है। इसके माने यह है कि अभी तक निकासी 50 प्रतिशत से ऊपर जा चुकी होगी। सादे आलू का रेट 450 से 500 रूपए कुन्तल चल रहा है। आपको भविष्य में कोई तेजी नजर नहीं आती।

अन्य प्रान्तों से सम्पर्क करने पर यह पता लगा कि अधिक व लेट वर्षा से आलू की बुआई सब जगह लेट हो गई है, खास तौर से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व बगांल में। इसका असर आगे आने वाले दिनों में भण्डारित आलू पर अवश्य पड़ेगा।

निकट भविष्य में ऐसी किसी नई फसल के आने की सम्भावना नहीं है जो कि बाजार में अपना प्रभाव छोड़ पाये।

. . . पृष्ठ 15 का शेष

हमें इस यात्रा का खर्च बताने का कष्ट करें परन्तु अभी तक हमारे पास किसी भी ट्रेवल एजेन्ट ने सम्पर्क नहीं किया है। हमारे ट्रेवल एजेन्ट से भी अभी तक खर्चे की पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसके मिलते ही हम आपको तुरन्त सूचित करेंगे। ट्रेवल एजेन्टों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए हमारे पत्रिका के अगस्त अंक में यात्रा का स्पष्टीकरण पढ़ें।

बिकाऊ

❑ **7.1/2 X 7.1/2 के दो सिमको कम्प्रेशर ❑ दो 60 एच.पी. के मोटर ❑ एक 75 एच.पी. का मोटर ❑ एक 100 एच.पी. का मोटर (सब मोटर स्टार्टर के साथ) ❑ कण्डेन्सर क्वायल ❑ एक 75 के.वी.ए. का Cummins जेनरेटर ❑ बिजली पैनल बोर्ड**

इसके अलावा शीतगृह सम्बन्धी और सामान भी है जो की क्रेता शीतगृह में निम्न पते पर आकर स्वयं सम्पर्क स्थापित करें।

सम्पर्क :

श्री अरविन्द सर्राफ

केयर विश्वामित्र कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस प्लाण्ट

आशापुर (हीरामनपुर) वाराणसी फोन 9415255989/0542–2595210

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित